**आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application under order 23, Rule 1 CPC)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् ............

अ० ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द०फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी, प्रार्थीगण/वादीगण निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि उक्त वाद श्री ............ पुत्र श्री ............ निवासी .......... जो सार्वजनिक उपयोग की न्यास ............ का न्यासी है, को हटाने के लिए उसको प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाकर योजित किया गया है किन्तु सी० पी०सी० की धारा 92 के अन्तर्गत अनुबन्धित स्वीकृति वाद योजना से पूर्व नहीं ली गई है।
2. यह कि उक्त वाद में आई प्रारूपिक त्रुटि के कारण वाद असफल हो जायेगा—वादीगण नया वाद संस्थित करने की स्वतन्त्रता रखते हुए उक्त वाद का प्रत्याहरण करना चाहते है । अत: प्रार्थना है कि वादीगण को प्रारूपिक त्रुटि का सुधार करके नया वाद संस्थित करने की स्वतन्त्रता देते हुए उक्त वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

स्थान ............ दिनांक........ वादी....

द्वारा अधिवक्ता........

**नोट** - प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र संलग्न किया जाना है।